प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
महेन्द्र कुमार पुत्र सुजाराम भील निवासी छिपरवाडा तहसील आहोर जिला जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी-अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर
प्रकरण अपील		21 /2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

03.07.2019	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 17.07.2019 को जवाब/बहस हेतु पेश हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	533-34 17-7-19
17.07.2019	अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर का जवाब प्राप्त हुआ। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)जालोर ने जवाब दिनांक 11.07.2019 द्वारा व्यक्त किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2019 के क्रम में आवेदित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/332 दिनांक 19.06.2019 द्वारा अपीलांट को भिजवाई गई। सूचना के अधिकार अधिनियम में कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवाई जाती है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के संबध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/332 दिनांक 19.06.2019 को भिजवाया जाना पाया जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	601-02 19/7/19

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.04 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested